न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-233RAAJodhpur2023-117RTA223 Parsaram Vs Kanaram etc

परसाराम पुत्र श्री फुसाराम, जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. कानाराम उर्फ कन्हैयालाल, जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
2. सत्यनारायण पुत्र मदनलाल, जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
3. बंशीलाल पुत्र मदनलाल जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
4. हेमाराम पुत्र मदनलाल जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
5. प्रकाश पुत्र मदनलाल जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
6. रमेश पुत्र मदनलाल जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
7. खींयाराम पुत्र घेवरराम, जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
8. जयराम पुत्र घेवरराम, जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
9. बिरमाराम पुत्र घेंवरराम, जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
10. सोहनलाल पुत्र भंवराराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
11. पुखराज पुत्र भंवराराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
12. गोरधनराम पुत्र भंवराराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
13. अशोक पुत्र भींयाराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
14. महेन्द्र पुत्र भीयाराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
15. राजूराम पुत्र गुलाराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

16. हीराराम पुत्र गुलाराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
17. ओमाराम पुत्र शिवकाराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
18. गणपतराम पुत्र शिवकाराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
19. भगाराम पुत्र शिवकाराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
20. प्रेमराज पुत्र स्व. हापुराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
21. बाबूलाल पुत्र शिवकाराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
22. पुखाराम पुत्र हरजीराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
23. संतोकराम पुत्र हरजीराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
24. प्रकाश पुत्र हरजीराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
25. ओमी देवी पुत्री हरजीराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
26. सोहनीदेवी पुत्री हरजीराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
27. लिछमीदेवी पुत्री हरजीराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
28. छमीयादेवी पुत्री हरजीराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
29. सुमन पुत्री हरजीराम जाति माली, निवासी- बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
30. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक पीपाड़ शहर।
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 अप्रैल 2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 40/2014 कानाराम बनाम परसाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 3 से 7 व 9
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 31

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2014 कानाराम बनाम परसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 अप्रैल 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 जून 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 44, 127, 128, 129 एवं 130 कुल रकबा 58.16 बीघा, खसरा नं. 325, 494/6 कुल रकबा 14.08 बीघा, खसरा नं. 439, 443, 447, 450, 456, 459, 462, 467, 470, 480 कुल रकबा 14.06 बीघा ग्राम बांकलिया तहसील पीपाड़ शहर के संबंध में अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2018 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्ति के पश्चात दिनांक 27 अप्रैल 2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री के जरिये वादी/रेस्पो. संख्या एक का वाद स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तिया पेश की गई जो विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से खारिज किये जाने पर अपीलांट की ओर से माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गई। माननीय मण्डल द्वारा निगरानी ग्रहण करते हुए विचारण न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 26.04.2018 को ही माननीय राजस्व मण्डल की तलबी की चिट्ठी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा माननीय मण्डल के आदेशों की अवहेलना करते हुए निगरानी संख्या 2718/2018 के विचाराधीन रहते पीछे की तारीख में दावे में अंतिम डिक्री जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को उसी रूप में स्वीकार करने में भारी भूल की गई है, जबकि उक्त विभाजन प्रस्ताव अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में उसे बिना सुने तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव को देखने मात्र से ही स्पष्ट है कि उक्त प्रस्ताव में नियमों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है एवं पक्षकारान के एक्जीस्टींग पजेशन को डिस्ट्रर्ड किया गया है तथा संपूर्ण जोत का विभाजन भी नहीं किया गया है। आंशिक विभाजन कानूनन किया ही नहीं जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही बहुत ही जल्दबाजी में की गई है तथा जिस प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, वह अनियमितताओं का पिटारा है। विभाजन प्रस्ताव में कानूनन प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से में रखी जाने वाली भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते दिखाये जाना आवश्यक है, जबकि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का से तैयार कर मंगवाया गया है। नियमानुसार पटवारी हल्का को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का कोई अधिकार नहीं है। वक्त विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तैयारी मौके पर भूमि की कोई पैमाईश नहीं की गई तथा न ही विभाजित भूमि को अलग-अलग रंगो से दर्शाते हुए नक्शा तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयारी में नियम 18 से 21 की पालना नही किये जाने से विभाजन प्रस्ताव नियम विरुद्ध होने तथा उक्त नियम विरुद्ध विभाजन प्रस्ताव पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये जो विधिविरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड में पालना नहीं हुई है। प्रतिवादी घेवरराम के वारिसान् द्वारा हाल ही में दिनांक 13.06.2023 को एक राजस्व वाद इसी भूमि के संदर्भ में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, सिजमें उसने बताया कि भूमि का विभाजन होकर उसके बंट में कुछ विशेष खसरों की भूमि को रखा गया है, तब अपीलार्थी ने इस बारे में सहायक कलक्टर के कार्यालय में अपने वकील को साथ ले जाकर पता किया तो जानकारी हुई कि मूल वाद की पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल भेज दी गई। अपीलार्थी ने दिनांक 26.06.2023 को अजमेर जाकर विचाराधीन निगरानी में अपने अधिवक्ता से निगरानी की पत्रावली का निरीक्षण किया तो पता चला कि निगरानी के साथ मूल वाद की पत्रावली में अंतिम डिक्री जारी हो चुकी है। तब अपीलांट द्वारा अविलंब अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल लेकर हस्तगत अपील जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2014 कानाराम बनाम परसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 अप्रैल 2018 को निरस्त जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रति पेषित कर पुनः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाया जाकर उस पर पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत नियमानुसार तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। वक्त निर्णय अपीलांट के अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में मिथ्या कथन किये गये है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न हैं। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2018 को आपत्तियॉ खारिज किये जाने पर अपीलांट्स की ओर से माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। माननीय मण्डल द्वारा निगरानी ग्रहण की जाकर विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया, किंतु इसी दरम्यान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दिया पाया जाना पाया जाता है, जिससे अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री जानकारी समय पर नहीं होना लाजमी है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त एक ही खाते में दर्ज भूमियों को अत्यंत छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है, जिससे जोते अनगिनत हिस्सों में विभाजित हो गई है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21** के अनुरूप नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2014 कानाराम बनाम परसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 अप्रैल 2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में विभाजन प्रस्ताव **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21** की पालना में तहसीलदार पीपाड़ शहर स्वयं द्वारा पक्षकारान् की उपस्थिति में बाई मिट्स एंण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर, उस पर पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अंतिम निर्णय डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर